MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th February, 2005

S. R. O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rule further to amend the Indian Air, Force Gp. 'C' and Gp. 'D' Industrial Posts Recruitment Rules, 1990 namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Air Force Gp. 'C' and Gp. 'D' Industrial Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Air Force Gp. 'C' and Gp. 'D' Industrial Posts Recruitment Rules, 1990, for the heading of the column 5, the following heading shall be substituted, namely :—

"Whether Selection or Non-Selection"

[File No. Air HQ/23049/RR/Ind/PC-4/91/D(Apptts)/2005]

R. B. JOSHI, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in Part-II, Section-IV of the Gazette of India dated the 12th January, 1991 *vide* No. SRO 259 dated the 20th December, 1990 and subsequently amended *vide* No. SRO 30 dated the 15th February, 1996 publishd in the Gazette of India dated the 9th March, 1996 and SRO No. 50 dated the 6th March, 2003 published in the Gazette of India dated the 29th March, 2003.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2005

का०नि०आ० 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सैनिक इंजीनियरी सेवा (सर्वेक्षण संकर्म काडर) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक इंजीनियरी सेवा में मुख्य इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) अधीक्षण इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) (अकृम्मिक चयन श्रेणी) कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) और सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियरी सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा काडर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा)	6* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	18,400-500-22,400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** 14,300-18,300 रु. के वृत्तिक वेतन में ऐसे अधीक्षण इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य या (ख) सर्वेक्षण संस्था: (भारत) से अंतिम या सीधे अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति, समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर/महा निदेशक साधारण कार्मिक मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अधीक्षण इंजीनियर परिमाण सर्वेक्षण और संविदा	40* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	14,300–400–18,300 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** ऐसा कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसके अंतर्गत 12000–16500 रु. के वेतनमान में अकृत्यिक श्रेणी कार्यपालक इंजिनियर में की गई सेवा भी है, यदि कोई हो, (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य अथवा (ख) सर्वेक्षण संस्था (भारत) से अंतिम या सीधे अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण 1 :** ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति के आधार पर 12000–16500 रु. के तत्कालीन विद्यमान वेतनमान में अधीक्षण इंजीनियर के पद पर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं उसी वेतनमान में रहते रहेंगे और वे 14300–18300 रु. के उन्नत वेतनमान में लगाए जाने के पूर्व अधीक्षण इंजीनियर के रूप में 10000–15200 और 12000–16500 रु. के वेतनमान में 9 वर्ष की सम्मिलित अर्हित सेवा पूरी करने तक कार्य करते रहेंगे। **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव/अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक (कार्मिक) उपमहानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	56* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	12,000-375-16,500 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** 10,000-15,200 रु. के वेतनमान में ऐसे कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ; या (ख) सर्वेक्षण संस्था (भारत) से अंतिम या सीधे अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य 3. उप सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा)	84 * (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	10,000-325-15,200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सहायक इंजीनियर (सर्वेक्षण और संविदा) से प्रोन्नति किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** (क) (i) 66.66 प्रतिशत 8000-13500 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो, से प्रोन्नति। अ. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ; या आ. सर्वेक्षण संस्था (भारत) से अंतिम या सीधी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) 33.34 प्रतिशत, 6500-10500 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, से प्रोन्नति; अ. इंजीनियरी (सिविल) में डिग्री रखता हो ; या आ. सर्वेक्षण संस्था (भारत) से अंतिम या सीधी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ख) ऐसा सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ; या (ii) सर्वेक्षण संस्था (भारत) से भवन और परिमाण सर्वेक्षण में इंटरमीडियट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना, सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) से प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए (निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) (i) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य (iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) से प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए (निम्नलिखित से मिलकर बनेगी)** (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) उप महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य (iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करने के लिए और सहायक इंजीनियर समूह 'ख' अधिकारियों से प्रोन्नति के आधार पर भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा)	126* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	8,000-275-13,500 रु.	लागू नहीं होता	सरकार/आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा नियमों के लिए यथा विहित

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सरकार/आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा नियमों के लिए यथा विहित	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधे भर्ती	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी (क) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष (ख) उप महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य (ग) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 85604/1/सर्वेक्षण काडर/आर आर/सीएससीसी/95/रक्षा(नि.)]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

New Delhi, the 17th February, 2005

S.R.O. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Surveyor of Works Cadre) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Engineer (Quantity Surveying & Contracts), Superintending Engineer (Quantity Surveying & Contracts), Executive Engineer (Quantity Surveying & Contracts) (Non-functional second grade), Executive Engineer (Quantity Surveying & Contracts) and Assistant Executive Engineer (Quantity Surveying & Contracts) in the Military Engineer Services under the Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Military Engineer Services (Quantity Surveying and Contract Cadre), Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classifications and scales of pay.**—The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, age limit and other qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Chief Engineer (QS &C)	06* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 18,400-500-22,400	Selection	No applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	11	12
Not applicable	Promotion	**Promotion :** Superintending Engineer (QS & C) in the functional pay scale of Rs. 14,300—18,300 with three years regular service in the grade, (a) possessing Degree in Civil Engineering from a recognised University/Institution or equivalent; or (b) passed Final or Direct Final examination from Institution of Surveyors, (India). **Note 1**—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Composition of Group 'A' DPC (for considering Promotion) consisting of :— (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman (ii) Secretary/Additional Secretary, Ministry of Defence — Member (iii) Engineer-in-Chief/Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch — Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

647 GI/05-3

1	2	3	4	5	6
2. Superintending Engineer (Q S&C)	40* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-18,300	Selection	Not applicable

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12
Not applicable	promotion	**Promotion**: Executive Engineer (QS & C) with nine years regular service in the grade including service if any rendered in the non-functional grade of Executive Engineer in the pay scale of Rs. 12000-16500. (a) possessing Degree in Civil Engineering from a recognised University/Institution or equivalent; or (b) passed Final or Direct Final examination from Institution of Surveyors (India). **Note 1** : Officers who have already been appointed on promotion basis to the post of Superintending Engineer in the then existing pay scale of Rs. 12000-16500 shall remain in the same pay scale and they will continue to function as Superintending Engineer till they complete 9 years combined qualifying service in the scale of Rs. 10000-15200 and Rs. 12000-16500 before placing in the upgraded pay scale of Rs. 14300-18300. **Note 2** : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Composition of Group 'A' DPC (for considering Promotion) consisting of :— (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Defence — Member (iii) Director General (Personnel)/Deputy Director General (Personnel), Engineer in-Chief's Branch, — Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

1	2	3	4	5	6
3. Executive Engineer (QS &C) (NFSG)	56* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12,000-375-16,500	Non-Selection	Not applicable

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12
Not applicable	Promotion	**Promotion** : Executive Engineer (QS & C) in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 with five years regular service in the grade (a) possessing Degree in Civil Engineering from a recognised University/Institution or equivalent; or (b) passed Final or Direct Final examination from Institution of Surveyors, (India). **Note** : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Composition of Group 'A' DPC for considering Promotion) consisting of :— (i) Joint Secretary, Ministry of Defence — Chairman	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

13	
(ii) Dy. Director General, (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch	— Member
(iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence	— Member

1	2	3	4	5	6
4. Executive Engineer (QS & C)	84* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200	Selection	No applicable

7	8	9
Not applicable	Not applicable	No applicable

10	11	12
Two years for those promoted from Assistant Engineer (QS & C)	Promotion.	**Promotion** : (a) (i) 66.66% promotion from Assistant Executive Engineer (QS & C) in the pay scale of Rs. 8000-13500 with four years regular service in the grade. (ii) a possessing Degree in Civil Engineering from a recognised University/or equivalent; or (b) passed Final or Direct Final examination of Institution of Surveyors, (India). (iii) 33.34% promotion from Assistant Engineer (QS&C) in the pay scale of Rs. 6500-10500 with eight years regular service in the grade. A. possessing Degree in Engineering (Civil); or B. passed Final or Direct final examination of Institution of Surveyors (India). (b) Assistant Engineer (QS & C) with ten years regular service in the grade (i) possessing Diploma in Civil Engineering from a recognised University/Institution or equivalent; or (ii) passed Intermediate in Building and quantity surveying examination of Institution of Surveyors (India) **Note 1** : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such

12
qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13	14
Composition of Group 'A' DPC [for considering promotion from Assistant Executive Engineer (QS and C)] consisting of :— (i) Joint Secretary, Ministry of Defence — Chairman (ii) Director General, (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch — Member (iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence — Member **Group 'A' DPC [for considering promotion from Assistant Engineer (QS and C)] consisting of :—** (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission — Chairman (ii) Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch — Member (iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence — Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up the post on promotion basis from Group 'B' officers of Assistant Engineer and for amending/relaxing any provision of these rules.

1	2	3	4	5	6
5. Assistant Executive Engineer (QS and C)	126* (2004) *Subject to variation dependent on on workload.	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8,000-275-13,500	Not applicable	As prescribed for the Combined Engineering Services Examination Rules notified by the Government/Commission from time to time.

7	8	9
Not applicable	As prescribed for the Combined Engineering Services Examination Rules notified by the Government/Commission from time to time.	Not applicable

10	11	12
2 years	Direct recruitment	Not applicable

13	14
Composition of Group 'A' DPC (for considering confirmation) consisting of :— (a) Joint Secretary, Ministry of Defence — Chairman (b) Dy. Director General, (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch — Member (c) Deputy Secretary, Ministry of Defence — Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for making direct recuitment and for amending/relaxing any provision of these rules.

[No. 85604/1/Surveyor Cadre/RR/CSCC/95/D (Appts.)]

R.B. JOSHI, Under Secy.